

FORM 21C
(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

**Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the
People Act. 1951**

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State From the **175-
Rajsamand** Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation
of the People act. 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections
Rules,1961, I declare that :-

Smt. Deepti Kiran Maheshwari
Bajrang Niwas, Rana Rajsingh Nagar,
100 Feet Road, Rajsamand - 313324 (Raj.)

Sponsored by **Bhartiya Janata Party** has been duly elected to fill the
seat in that House from the above constituency.

Place : Shri Bal Krishna Vidhya Bhawan Govt. Sen. Sec. School, Kankroli

Date : 03-12-2023

(Brijesh Gupta)
Returning Officer
175-Rajsamand Assembly Constituency
Subdivisional Magistrate & Sub divisional Officer Rajsamand
राजसमन्द, विधान क्षेत्र, राजसमन्द-175
(उ.प्र.स. अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द)

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

175-राजसमन्द विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिये निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी,
बजरंग निवास, राणा राजसिंह नगर,
100 फीट रोड, राजसमंद-313324 (राज.)

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए/की गई है।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान : श्री बालकृष्ण विद्या भवन राउमावि, कांकरोली

दिनांक: 03.12.2023

(बृजेश गुप्ता)

रिटर्निंग अधिकारी

175-राजसमन्द विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द-175
(उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द)